राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकः–आर0एम0पी0यू0 / 1634/2022 दिनांकः–27 नवंबर, 2022

सेवा में,

प्राचार्य
श्यो प्रसाद शान्ती देवी महाविद्यालय
दानपुर नगला मोतिहारी, हाथरस

विषयः आई0**जी0**आर0एस0 **संख्या 40014422013321 के निस्तारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उक्त विषयक श्री राधारमण गुप्ता की आई0जी0आर0एस0 शिकायत का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे (संलग्न)। जिसके द्वारा शिकायत की गई है कि मानकों का उल्लंघन करते हुए महाविद्यालय का निर्माण कराया गया है एवं विद्यार्थियों को प्रलोभन देकर अवैध वसूली की जाती है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण दिनांक 28.11.2022 की सांय 05:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

27/11/22

सहा0 कुलसचिव

6) 40014422013321 (अंतरित) प्राप्त दिनांक- 08-10-2022
विभाग- उच्च शिक्षा विभाग **सन्दर्भ श्रेणी -** कालेजों द्वारा अवैध वसूली
आवेदनकर्ता का विवरण: RADHA RAMAN,टाउन - हाथरस , जिला - हाथरस मोबाइल नंबर :9412501293 ,
आवेदन पत्र का विवरण: ABOUT CORRUPTION
आदेश देने वाले अधिकारी - ऑनलाइन सन्दर्भ **आदेश** - ,"
अग्रसारित एवं आख्या के समस्त विवरण हेतुः क्लिक करे ......

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय,

उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषय– हाथरस जिले के श्यो प्रसाद शान्ती देवी महाविद्यालय मानक पूर्ण न होने एवं नकल के नाम पर पैसे लेने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि आपके हाथरस जिले के अन्दर श्यो प्रसाद शान्ती देवी महाविद्यालय, दानापुर नगला मोतिहारी जिला हाथरस (कॉलेज कोड–118) नाम से एक महाविद्यालय है जिसके संचालक/प्रबन्धक महोदय ने महाविद्यालय केवल धन्धेखोरी एवं पैसे कमाने के लिये खोला है। उक्त महाविद्यालय को न जाने किस अधिकारी ने पैसे लेकर जॉच आख्या देकर मान्यता प्रदान कराई गई है। उक्त महाविद्यालय में न तो नेशनल बिल्डिंग मोड के नियम का पालन किया है। क्योंकि समस्त बिल्डिंग गाटर पटिया में है (अगर नेशनल बिल्डिंग कोड का कोई भी सर्टीफिकेट है तो वह निश्चित रूप से फर्जी होगा।) कोई भी डिग्री कॉलेज गाटर पटिया में नहीं बन सकता इसके साथ ही साथ न ही किसी टीचर का एनूवल है/न ही लैब है/न ही अग्निशमन विभाग की एन0ओ0सी0 है। कॉलेज प्रबन्धक/संचालक नकल के नाम पर छात्र/छात्राओं से मोटी धनराशि बसूलते हैं। प्रार्थी के पास कॉलेज संचालक के पिता द्वारा नकल के नाम पर धनराशि लेने की वीडियो भी है। जब भी उस वीडियो की जरूरत होगी। प्रार्थी आपके समक्ष वह वीडियो प्रस्तुत कर देगा। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय को वॉट्सएप पर पत्र द्वारा उसकी सूचना भी दी जा चुकी किन्तु महाविद्यालय संचालक के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई एवं महाविद्यालय को इन परिस्थितियों में भी पेपरों में सेन्टर बनाया गया। कॉलेज संचालक द्वारा मोटी रकम विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को दी जाती है अगर कोई भी उक्त महाविद्यालय की शिकायत करता है तो कॉलेज संचालक/प्रबन्धक उन अधिकारियों को मोटी रकम देकर शिकायतों के दबवा लेते हैं।

अतः माननीय से अनुरोध है कि जिस तरह से आपके शासन में भ्रष्टाचारी/रिश्वतखोरों की कोई जगह नहीं है। उसी स्थिति में उक्त महाविद्यालय की उच्च स्तरीय जॉच एवं मान्यता सम्बन्धी दस्तावेजों की जॉच कराने की कृपा करें एवं इसमें शामिल मान्यता देने वाले एवं सेन्टर बनाने वाले उच्चाधिकारियों के खिलाफ भी उचित दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें। जिससे फर्जी महाविद्यालय चलाने वाले एवं नकल के नाम पर धनराशि बसूलने वाले संचालकों को सबक मिल सके। (अगर आप चाहेगें तो प्रार्थी गवाह के रूप में कई छात्रों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।)

प्रार्थी

दिनांक–08.10.2022

राधारमण गुप्ता
विजय नगर गली नं0–2
हाथरस।
मो0–9412501293